न्यायालय— अवर न्यायाधीश तृतीय, नरकटियागंज, पश्चिम चम्पारण

स्वत्व वाद संख्या :— 366/2019
CIS No. :— TS/366/2019
CNR No. :— BRWC22–000537–2019

सुरेन्द्र महतो एवं अन्य बनाम् **सत्यनारायण साह एवं अन्य**

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
11.02.2022	अभिलेख पेश हुयी। पुकार पर वादीगण के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादीगण अनुपस्थित। वादीगण अधिवक्ता द्वारा प्रर्थनापत्र दिनांक 11.02.2022 के निस्तारण पर बल दिया गया। **निस्तारण प्रार्थनापत्र दिनांक**—11.02.2022 प्रार्थनापत्र दिनांक 11.02.2022 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी संख्या—16 ता 21 दिनांक 01.02.2020 एवं प्रतिवादी संख्या—3 ता 15 दिनांक 16.01.2021 को उपस्थित हुए। परन्तु इनके द्वारा आज तक बयान तहरीरी दाखिल नहीं किया गया है। इनको बयान तहरीरी दाखिल करने से वंचित करते हुए वाद के अग्रसारण के लिए उक्त प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने की याचना की गयी है तथा जरिये प्रकाशन तामिला के बावजूद भी प्रतिवादी संख्या—1 व 2 न्यायालय उपस्थित नहीं आये। इनके विरूद्ध जरिये प्रकाशन तामिला मानते हुए वाद के अग्रसारण के लिए उक्त प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने की याचना की गयी है। सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित है कि मुकदमा में प्रतिवादी संख्या 16 व 21 दिनांक 01.02.2020 एवं प्रतिवादी संख्या—3 ता 15 दिनांक 16.01.2021 को अभिलेख पर उपस्थित आ चुके हैं। परन्तु इनके द्वारा विधि द्वारा निर्धारित समयावधि के अन्दर बयान तहरीरी दाखिल नहीं किया गया है। न्यायालय द्वारा बयान तहरीरी दाखिल करने हेतु इनको पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। प्रतिवादीगण द्वारा आज कोई स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतएव प्रतिवादी संख्या—3 ता 21 को	

न्यायालय— अवर न्यायाधीश तृतीय, नरकटियागंज, पश्चिम चम्पारण

स्वत्व वाद संख्या :— 366/2019
CIS No. :— TS/366/2019
CNR No. :— BRWC22–000537–2019

सुरेन्द्र महतो एवं अन्य बनाम् **सत्यनारायण साह एवं अन्य**

लगातार **11.02.2022**	बयान तहरीरी दाखिल करने का अवसर समाप्त किया जाता है। वादीगण द्वारा न्यायालय के आदेशानुसार प्रतिवादी संख्या—1 व 2 पर जरिये प्रकाशन पैरवी की गयी। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से आज भी कोई उपस्थित नहीं है। समाचार पत्र प्रकाशन के रूप में अभिलेख पर छपकर उपलब्ध है। अत: जरिये प्रकाशन प्रतिवादी संख्या 1 व 2 पर नोटिस/सम्मन की तामिला पर्याप्त मानी जाती है। न्यायहित में वाद के अग्रसारण के लिए वाद की कार्यवाही प्रतिवादी संख्या—1 ता 21 के विरूद्ध एकपक्षीय रूप से अग्रसारित की जाती है। अभिलेख वास्ते वादी साक्ष्य हेतु दिनांक—23.03.2022 को पेश हो। अवर न्यायाधीश तृतीय न्याय कक्ष—4 नरकटियागंज	